उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-50 /2018/1889/तीस-4-2018-20(सा0)/2018
लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2018

<u>आदेश</u>

प्रदेश के परिवहन यानों के रंग निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-162 में संशोधन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना संख्या-47/18-1711/तीस-4-2018-20(सा)/2018, दिनांक 16.11.2018 आन लाइन निर्गत कर दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 24.11.2018 एवं दैनिक जागरण 25.11.2018 के संस्करण में प्रकाशित हुई है। अधिसूचना पर जनसामान्य से प्राप्त अभ्यावेदन/सुझाव विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, परिवहन अनुभाग-4 को लिखित रुप में सम्बोधित कर दिनांक 10.12.2018 को या उससे पूर्व तक प्रेषित किये जाने एवं प्राप्त आपत्तियों पर विशेष सचिव/ श्रवणाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2018 को बापू भवन, अष्टम तल, उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित कक्ष संख्या-804 में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी।

दिनांक 10.12.2018 को सुनवाई के समय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में कोई भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं हुए और न ही परिवहन अनुभाग-4 में कोई अभ्यावेदन/सुझाव ही प्राप्त हुए हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के परिवहन यानों के रंग निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम-162 में संशोधन हेतु निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या-47/18-1711/तीस-4-2018-20(सा)/2018, को अन्तिम रुप से निर्गत किये जाने योग्य है।

(जिन्नूरैन अहमद खाँ)
श्रवणाधिकारी/विशेष सचिव।

<u>संख्या-50 /2018/1889(1)/तीस-4-2018-तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जिन्नूरैन अहमद खाँ)
श्रवणाधिकारी/विशेष सचिव।